न्यायालय–प्रथम अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, बांदा

मुकदमा संख्या 91/नौ/2023

सरकार बनाम अबरार हुसैन आदि

अ0सं0–65/2022

धारा–498ए,323 भा0दं0सं0 व

धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना–नरैनी, जिला बांदा।

दिनांक–24.02.2023

आज पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये।

प्रार्थीगण अबरार हुसैन आदि की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्लीकेशन अण्डर सेक्शन 482 नम्बर–38272/2022, अबरार हुसैन आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 14.02.2023 को प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों का सुलहनामा दिनांकित 24.02.2023 पत्रावली पर उपलब्ध है।

मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एप्लीकेशन अण्डर सेक्शन 482 नम्बर–38272/2022, अबरार हुसैन आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 में पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुलहनामा अन्दर दो सप्ताह दाखिल करने तथा अधीनस्थ न्यायालय को सुलहनामा का सत्यापन करके तीन सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह भी आदेशित किया गया है कि न्यायालय सभी पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये समझौते को सत्यापित करने के उपरान्त अपनी आख्या सुलहनामा की सत्यापित प्रति के साथ सूचीबद्धता की अग्रिम तिथि तक प्रस्तुत करेगें।

अतः मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश दिनांकित 03.02.2023 के अनुपालन में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा दिनांकित 24.02.2023 पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सुलहनामा मु0अ0सं0–65/2022, वादी मुकदमा लल्लू खां की पुत्री राकिया (पीड़िता/चोटहिल) व अभियुक्तगण अबरार हुसैन, नज्जो व सलमा द्वारा सुलहनामा दाखिल किया गया है।

सभी हस्ताक्षरकर्तागण आज न्यायालय में मेरे समक्ष उपस्थित है। सुलहनामा में पीड़िता राकिया खातून की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वरी प्रसाद पटेल एवं अभियुक्तगण अबरार, नज्जो, सलमा की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री होरीलाल द्वारा की गयी। सुलहनामा सभी हस्ताक्षरकर्तागण को पढकर सुनाया गया तथा सुलहनामा उनके द्वारा तस्दीक किया गया। इस प्रकार सुलहनामा शिकायतकर्ता व सभी अभियुक्तगण व उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में पक्षकारों की पूर्ण संतुष्टि व मुखर वचनों के आधार पर सत्यापित किया जाता है। अतः सुलहनामा मान्नीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सत्यापित किया जाता है।

आदेश की सत्यापित प्रति सुलहनामा की सत्यापित प्रति के साथ मान्नीय उच्च न्यायालय को अविलम्ब

प्रेषित किया जाये।

दिनांक–24.02.2023

अपर सिविल जज(जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
बांदा।

प्रेषक,

अपर सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
बांदा।

द्वारा– मान्नीय जनपद न्यायाधीश,
बांदा।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
मान्नीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय– एप्लीकेशन अण्डर सेक्शन 482 नम्बर–38272/2022, अबरार हुसैन आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 की अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर विनम्र निवेदन है कि इस न्यायालय में दाण्डिक वाद सं0–91/नौ/2023, सरकार बनाम अबरार हुसैन आदि, अ0स0–65/2022, धारा–498ए,323 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नरैनी, जिला बांदा में लम्बित है जिसमें अभियुक्तगण अबरार हुसैन आदि की ओर से मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एप्लीकेशन अण्डर सेक्शन 482 नम्बर–38272/2022, अबरार हुसैन आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 की सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल की गयी। उक्त आदेश में मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुलहनामा दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह भी आदेशित किया गया है कि न्यायालय सभी पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सुलहनामें को सत्यापित करने के उपरान्त अपनी आख्या सुलहनामा की सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में प्रस्तुत सुलहनामा दिनांकित 24.02.2023 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 24.02.2023 को सत्यापित किया गया तथा उसकी सत्य प्रति मय आख्या प्रेषित की जा रही है।

श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि आख्या को मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कृपापूर्वक अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

दिनांक–24.02.2023 भवदीया,

अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
बांदा।

संलग्नक–

1. आदेश दिनांकित 24.02.2023 की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. सुलहनामें की सत्यापित प्रतिलिपि।